

कायालय अधीक्षक रानी दुगावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र
 पाता गांधीनगर बाजार के पाता गांधी फिल्म सेट जबलपुर
 फोन: ०१७१-३६२६०२२ वेब साईट: elichospital.com ईमेल: elichospitalbyp@gmail.com

क्रमांक / आर.के.एस / २०२२/२७२६ **जबलपुर-दिनांक १९/१०/२०२२**
समिति निविदा की सूचना
विषय- चिकित्सालय में Medical Oxygen Pipeline रेट अनुबंध करने समिति निविदा के लिये आवश्यक जीव जारी है।
Medical Oxygen Pipeline रेट अनुबंध करने समिति निविदा के लिये आवश्यक जीव जारी है।
क्रमांक: १२०

परिशिक्षण - अ		
S.No.	Description	Details (Write details against each information)
1	Name of the firm	
2	Address of the firm	
3	Contact Details of the firm	
4	Pan Number with proofs Attached	
5	Registration in Jabalpur Madhya Pradesh Shops & Establishment	
6	GST Registration No with copy of certificate attached	

कायालय अधीक्षक रानी दुगावती चिकित्सालय जबलपुर म.प्र पाता गांधीनगर थीक के पास साउथ सिंहिल लाईन जबलपुर में **Medical Oxygen Pipeline** रेट अनुबंध करने समिति निविदा प्रस्तुत करते हैं।

परिशिक्षण - ब समाप्ति की दरें		
क्र.	समाप्ति/कार्य का नाम	दरे
11	Vacuum Tube PVC (Transplant Heavy)	
12	Copper Pipe 12MM X 0.7 THIK	
13	Copper Pipe 15 MMX 0.9 THIK	
14	oxygen channel service charge	
15	NRC service charge	
16	Gas Outlet service charge	
17	Gas outlet connector	
18	Cylinder key	
19	Labour Rate	

नोट टेक्स शासन द्वारा नियमित रहेगा।

समिति निविदा की सम्पन्न जारी

1. चिकित्सालय **Medical Oxygen Pipeline** रेट अनुबंध करने समिति निविदा की जारी है।
 2. संबंधित समिति निविदा की परिशिक्षण- एक सुपाइड शादी में घटकर प्रविष्ट किया जाना होगा। विस्तृत निविदा में किसी भी प्रकार का काटापीटी, और एक राईटिंग अथवा अप्पल अंक स्टीलर नहीं होगा। विशिक को रीट बंद कर एवं टीसीपी लिपाइए पर कार्य का नाम एवं निविदाकार का नाम विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 3. समिति निविदा खाली जाने पर संवर्धन समस्त निविदाओं के तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।
 4. किसी भी समिति निविदा को स्टीलकूप पूर्ण या परवान अथवा सार्स्ट निविदाओं को स्टीलर अथवा निरस्त करने का अधिकार अधीक्षक रानी दुगावती चिकित्सालय जबलपुर के पास सुनिश्चित रहेगा।
 5. संस्था का कार्य संस्थापनकाल पारे जाने पर अनुबंध की अवधि सम्पन्न रहती एवं दरें पर अविकल्प ६ माह या नवीन समिति निविदा जो पहले होने तक के लिए आपात सहमति से बदली जा सकती।
 6. निविदाकार का समस्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं संबंधित कार्य के लिये नियमित माप दरकों के अनुसार करना आवश्यक है। कार्य आदेश जारी किये जाने और कार्य संस्थान के दीर्घन यदि किसी स्तर पर यह प्रतीत होती है कि नियमित गुणवत्ता एवं मापदरकों के स्तर में किसी प्रकार का समझौता किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता। तथा निविदाकार द्वारा जग्हा की गई प्रतिशूली राशि साजसाल की जाएगी।
 7. निविदा न्यूलेट प्राइवेट दर पर स्लिक्ट की जाएगी।
 8. बदल की उत्तरवाता के अनुसार विलों का भूगतान किया जावेगा।
 9. समिति निविदा की सम्पादनी को आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता।
 10. किसी भी विवाद कि नियमित में अधीक्षक रानी दुगावती चिकित्सालय जबलपुर का नियम अंतिम होगा जो निविदाकार को बंधनकारी होगा।

पृष्ठांक / आर.के.एस / २०२२/२७२६
 ; राजेश शास्त्री और स्थानीय चिकित्सालय की ओर सेवा है कि निविदा सुनना चिकित्सालय की बेव साइट पर अपलोड करें।

अधीक्षक
 रानी दुगावती चिकित्सालय
 जबलपुर-४४२०००२
 १९/१०/२०२२
 १२०
 अधीक्षक
 रानी दुगावती चिकित्सालय
 जबलपुर